

दिनांक 05.04.2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट, सोनभद्र ।

विषय: जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट को 132 के०वी० विद्युत पारिषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे० वन भूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ: 1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2690 / 11-सी-FP/UP/TRANS/140402/2021 दिनांक 24.03.2022 ।
2. आपका पत्रांक 2917 / रेनुकूट / 15-26 दिनांक 25.03.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर को सम्बोधित एवं आपको तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है ।

इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित नवीनीकरण प्रस्ताव के हार्डकापी में इंगित करायी गयी कमियों का निराकरण करते हुये नवीनीकरण प्रस्ताव की हार्डकापी तीन प्रतियों में पुनः इस पत्र के साथ संलग्न है :-

| क्रम सं० | बिन्दु संख्या | अनुपालन आख्या |
|----------|--|--|
| 1 | प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक 343 / 11-सी दिनांक 14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है । | इस बिन्दु का अनुपालन वन विभाग द्वारा अपेक्षित है । |
| 2 | प्रस्ताव में DSS Analysis से संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई०टी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा जारी किया गया DSS Analysis से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है । | इस बिन्दु का अनुपालन वन विभाग द्वारा अपेक्षित है । |

Hindalco Industries Limited


P.O. Renukoot-231217, District. Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093


T: +91 22 6691 7000 | Fax: +91 22 6691 7001

Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238




(2)

| | | |
|---|--|--|
| 3 | <p>प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है, जिसमें पुनः बौने (औषधीय) पौधों का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः उपरोक्त स्थल का सत्यापित कलर फोटोग्राफ संलग्न किया जाये।</p> | <p>इस बिन्दु का अनुपालन वन विभाग द्वारा किया जाना है। कलर फोटोग्राफ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न है।</p> |
| 4 | <p>प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज अवधि दिनांक 01.04.1972 से 31.03.1997 तक का उल्लेख है। प्रथम लीज की प्रारम्भ तिथि 01.04.1972 किस आधार पर ली गयी है। इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। संलग्न करें।</p> | <p>प्रयोक्ता एजेन्सी को 25 वर्षों हेतु प्रथम लीज आदेश सं0 4887(2)/ 14.02.797/ 72 दिनांक 02.09.2072 द्वारा स्वीकृत की गयी थी जिसमें लीज अवधि का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार लीज अवधि (आदेश के निर्गत तिथि से 25 वर्ष तक) दिनांक 02.09.1972 से 01.09.1997 तक मानी गयी थी। परन्तु प्रथम नवीनीकरण के आदेश संख्या 774/ 14-2-2000- 749/ 72 दिनांक 02.03.2001 में लीज अवधि स्पष्ट रूप से दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक अंकित किया गया है। उक्त दोनों आदेशों की प्रति प्रस्ताव में <u>संलग्नक 1 व 3</u> के रूप में संलग्न है।</p> |
| 5 | <p>हार्डकापी भाग-2 में प्रथम लीज अवधि दिनांक 09.08.1972 से दिनांक 08.08.1997 तक तथा द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से दिनांक 31.03.2022 तक का उल्लेख है। उपरोक्त से यह विदित होता है कि प्रथम लीज अवधि दिनांक 08.08.1997 को समाप्त होने से पूर्व ही द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से प्रारंभ हो गयी। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः इससे संबंधित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न कर स्पष्ट करें।</p> | <p>प्रयोक्ता एजेन्सी को 25 वर्षों हेतु प्रथम लीज आदेश सं0 4887(2)/ 14.02.797/ 72 दिनांक 02.09.2072 द्वारा स्वीकृत की गयी थी जिसमें लीज अवधि का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार लीज अवधि (आदेश के निर्गत तिथि से 25 वर्ष तक) दिनांक 02.09.1972 से 01.09.1997 तक मानी गयी थी। परन्तु प्रथम नवीनीकरण के आदेश संख्या 774/ 14-2-2000- 749/ 72 दिनांक 02.03.2001 में लीज अवधि स्पष्ट रूप से दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक अंकित किया गया है। उक्त दोनों आदेश की प्रति प्रस्ताव में <u>संलग्नक 1 व 3</u> के रूप में संलग्न है।</p> |



(3)

| | | |
|----|---|--|
| 6 | प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाईन पार्ट-2 संलग्न है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें। | इस बिन्दु का अनुपालन वन विभाग द्वारा अपेक्षित है। |
| 7 | प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग-3 मूल में संलग्न नहीं है। | इस बिन्दु का अनुपालन वन विभाग द्वारा अपेक्षित है। |
| 8 | वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में आशय स्पष्ट नहीं है। अतः स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करें। | प्रस्ताव में वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र संबंधित स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्नक-11 के रूप में संलग्न है। |
| 9 | हार्डकापी भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित विवरण आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग-2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑन- लाइन अपलोड करें। | इस बिन्दु का अनुपालन वन विभाग द्वारा अपेक्षित है। |
| 10 | हार्डकापी भाग-2 में मूल लीज का आदेश संख्या 4050/ 14-2-794/72 दिनांक 09.08.1997 तथा प्रस्ताव में संलग्न आदेश में उक्त दिनांक 02.09.1972 एवं 01.09.1972 अंकित कर ओवर राइटिंग की गयी है, जिससे आदेश जारी होने की तिथि भ्रामक है। अतः सही लीज का आदेश संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड किया जाये। | प्रयोक्ता एजेन्सी का 25 वर्षों हेतु प्रथम लीज आदेश सं0 4887(2)/ 14.02.797/ 72 दिनांक 02.09.2072 के द्वारा स्वीकृत की गयी थी जिसमें लीज अवधि का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार लीज अवधि (आदेश के निर्गत तिथि से 25 वर्ष तक) दिनांक 02.09.1972 से 01.09.1997 तक मानी गयी थी। उक्त आदेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। |
| 11 | प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज का आदेश संख्या 4887(2)/ 14-2-794/72 दिनांक 02.09.1972 का उल्लेख है जबकि प्रस्ताव में इस आदेश संख्या का कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट कर संलग्न करें। | प्रयोक्ता एजेन्सी का 25 वर्षों हेतु प्रथम लीज आदेश सं0 4887(2)/ 14.02.797/ 72 दिनांक 02.09.2072 के द्वारा स्वीकृत की गयी थी जिसमें लीज अवधि का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार लीज अवधि (आदेश के निर्गत तिथि से 25 वर्ष तक) दिनांक 02.09.1972 से 01.09.1997 तक मानी गयी थी। उक्त आदेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। |
| 12 | प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 18 एवं 38 में भारत सरकार के आदेश संख्या का दिनांक 06.10.2002 अंकित है, जोकि गलत है। अतः सही दिनांक अंकित कर संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व को डिलिट कर ऑनलाइन अपलोड करें। | प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 18 एवं 38 में भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी/ 04/ 2074/ 2000/एफ.सी/ 726 दिनांक 06.10.2000 स्पष्ट रूप से अंकित है। पता नहीं कैसे दिनांक 06.10.2000 को 06.10.2002 पढ़ा जा रहा है। |



(4)

| | | |
|----|---|--|
| 13 | उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करने के उपरांत संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ तथा ऑनलाइन में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करें। | इस बिन्दु का अनुपालन वन विभाग द्वारा अपेक्षित है। |
| 14 | संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें। | संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है। |

अतः श्रीमान्जी से अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(विवेक कुमार)

हेड-लीगल

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (हार्डकापी तीन प्रति)

प्रतिष्ठा

06/06/2022



Hindalco Industries Limited

P.O. Renukoot-231217, District. Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 252077-79/254791-96 | Fax: +91 5446 252107/252427 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093

T: +91 22 6691 7000 | Fax: +91 22 6691 7001

Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238